रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092024-257198
CG-DL-E-17092024-257198

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 17, 2024/भाद्र 26, 1946
No. 532] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 17, 2024/BHADRA 26, 1946

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 574(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (v) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय बेतार तारयांत्रिकी (आपदा चेतावनी के लिए सेल प्रसारण सेवा) नियम, 2023 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ..**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बेतार तारयांत्रिकी (आपदा चेतावनी के लिए सेल प्रसारण सेवा) (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषा..** भारतीय बेतार तारयांत्रिकी (आपदा चेतावनी के लिए सेल प्रसारण सेवा) नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, उपखंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

'(घ) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 में यथापरिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है;

(ङ) "कारबार इकाई" से कोई ऐसा संगठन अभिप्रेत है, जिसका एक या अधिक व्यक्ति मिलकर कारबार चलाने के लिए गठन करते हैं:

(च) "सॉफ्टवेयर डेवलेपर" से मोबाइल हैंडसेटों के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने वाली कोई कारबार इकाई अभिप्रेत है।'।

3. उक्त नियम के नियम 3 में,--

(क) उपनियम (1) में, खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(घ) चेतावनी ध्वनि, कंपन और प्रकाश अवधि, मानक परिस्थितियों के अधीन तीस सैकेंड की न्यूनतम अवधि तक, और जब डिवाइस संदेश को स्वतः पढ़ता है तो पंद्रह सैकेंड के लिए, या उपयोगकर्ता द्वारा पावती दिए जाने तक या ऐसी अवधि, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, तक बनाए रखी जाएगी; और":

(ख) उपनियम (2) में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) ऐसे चैनलों पर, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, सैल प्रसारण चेतावनी संदेशों की अनिवार्य प्राप्ति; और";

(ग) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) (क) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार सभी भारतीय भाषाओं में सेल प्रसारण संदेश प्राप्त करने के लिए अनिवार्य समर्थन के बिना भारत में कोई स्मार्टफोन या फीचर फोन नहीं बेचा जाएगा;

(ख) हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त सेल प्रसारण के भारतीय उच्चारण में स्वतः पढ़ने के अनिवार्य समर्थन के बिना भारत में कोई स्मार्टफोन या फीचर फोन नहीं बेचा जाएगा;

(ग) भारत में बिक्री के लिए स्मार्टफोन या फीचर फोन के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के विनिर्माण, आयात या विकास में सम्मिलित विनिर्माता, कंपनियों, सॉफ्टवेयर डेवलेपर्स, या कोई अन्य कारबार इकाइयां, इस अधिसूचना की तारीख से प्रत्येक वर्ष भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त चार भाषाओं के लिए भारतीय उच्चारण में स्वतः पढ़ने की सुविधा सम्मिलित करेंगी, जब तक यह सुविधा भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार सभी भाषाओं के लिए सम्मिलित नहीं की जाती है ।"

[फा. सं. 15-2/2021-डीएम]

संजय कुमार अग्रवाल, उप महानिदेशक (आपदा प्रबंधन)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.आ. 278 (अ), तारीख 6 अप्रैल, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2024

G.S.R. 574(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) of sub-section (2) of section 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indian Wireless Telegraphy (Cell Broadcasting Services for Disaster Alerts) Rules, 2023, namely:-

1. Short title and commencement:- (1) These rules may be called the Indian Wireless Telegraphy (Cell Broadcasting Service for Disaster Alerts) (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition:- In the Indian Wireless Telegraphy (Cell Broadcasting Service for Disaster Alerts) Rules, 2023 (hereinafter referred to as the said rules), in rule , after sub-clause (c), the following sub-clauses shall be inserted, namely: -

"(d) "company" means a company as defined in the Indian Companies Act, 2013;

(e) "business entity" means an organisation that one or more people form to conduct business;

(f) "Software Developer" means a business entity providing software for the mobile handsets."

3. In the said rule, in rule 3:-

(a) In sub rule (1), for clause (d), the following shall be substituted,namely:-

"(d) alert sound, vibration, and light duration shall be maintained for a minimum period of thirty seconds under standard circumstances, and for fifteen seconds when the device auto-reads the message, or until acknowledgment by the user or for such duration as may be specified from time to time; and";

(b) In sub rule (2), for clause (a), the following shall be substituted, namely:-

"(a) mandatory receipt of cell broadcast alert messages on the channels as may be specified from time to time; and"

(c) for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:-

"3. (a) No smartphone or feature phone shall be sold in India without mandatory support to receive cell broadcast messages in all Indian languages as per the Eighth Schedule to the Constitution of India;

(b). no smartphone or feature phone shall be sold in India without mandatory support for auto-readout in Indian accent of cell broadcasts received in Hindi and English;

(c). manufactures, companies, software developers, or any other business entities involved in the manufacturing, importing, or development of operating software for smartphones or feature phones intended for sale in India, shall incorporate the auto-readout feature in Indian accent for four languages, other than Hindi and English, as per the Eighth Schedule of the Constitution of India every year from the date of this notification, until this feature is incorporated for all languages as per the Eighth Schedule of the Constitution of India."

[F. No. 15-2/2021-DM]

SANJAY KUMAR AGRAWAL, Dy. Director General (Disaste Management)

Note: The principal rules were published in The Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification no. G.S.R.278 (E) dated the 6th April, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.